न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 71/2011

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 नागरमल पुत्र ध्यालाराम जाति मेघवाल निवासी नयासर तहसील व जिला झुंझुनू नोट दौराने प्रर्थना पत्र देहान्त हो गया।
1/1 श्रवणी देवी आयु 62 साल पत्नी नागरराम।
1/2 श्रीमती शर्मिला आयु 40 साल पुत्री नागरराम।
1/3 परमेन्द्र कुमार आयु 26 साल पुत्र नागरराम समस्त जाति मेघवाल निवासीगण नयासर तहसील व जिला झुंझुनू।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झुंझुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
प्रदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूँ)

रेस्पोंडेन्ट

द्वितीय अपील अ0 धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 अपील खिलाफ निर्णय दिनांक 05.10.2011 बअदालत जिला कलेक्टर झुंझुनू मुकदमा डनवानी नागरराम बनाम राजस्थान सरकार मुकदमा नम्बर 47/2011 व निर्णय दिनांक 26.07.2010 बअदालत तहसीलदार झुंझुनू मुकदमा उनवानी सरकार बनाम हरफुल सिंह मुकदमा नम्बर 6/2008 अ.धा. 90क राज भू–राजस्व अधि. 1956

उपस्थित

1. श्री राजेश पूनियां अधिवक्ता अपीलांट
2. राजकीय अधिवक्ता

–निर्णय–

दिनांकः–25.10.2018

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूँ)

यह द्वितीय अपील प्रथम अपील न्यायालय जिला कलेक्टर झुंझुनू द्वारा प्रथम अपील संख्या 47/2011 में पारित निर्णय दिनांक 05.10.2011 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय तहसीलदार झुंझुनू ने भूमि खसरा नम्बर 1350,1351,1352,1353,1354 वाके कस्बा झुंझुनू में 1/3 हिस्से की भूमि पर अपीलांट के भाई हरफुल सिंह द्वारा बिना रूपान्तरण करवाये निर्माण एवं चार दिवारी बनाने के कारण दिनांक 26.07.2010 से चार दिवारी एवं निर्माण तोड़ने के आदेश दिये जिससे व्यथित होकर प्रथम अपील जिला कलेक्टर झुंझुनू के समक्ष प्रस्तुत की गई जो विचाराधीन आदेश से खारिज हुई है। जिसके विरूद्व यह अपील प्रस्तुत हुई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि कृषि भूमि के चारों और चार दिवारी का निर्माण कृषि भूमि की सुरक्षा की परिधी में आता है विचारण न्यायालय एवं प्रथम अपील न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही कर विचाराधीन निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है। अपील स्वीकार कर दोनों न्यायालयों के निर्णय अपास्त किया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि चार दिवारी दो प्लाटो की बनाई गई है। जिसका न तो रूपान्तरण करवाया है न ही अनुमती प्राप्त की है कृषि भूमि की सुरक्षा के लिए निर्माण नही किया है ऐसी स्थिति में दोनों न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है। अपील खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एंव विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रकरण में पटवारी हल्का की मौका जांच रिपोर्ट के अनुसार हरफुल सिंह द्वारा खसरा नम्बर 1350 से 1354 का उपयोग बिना रूपान्तरित करवाये अकृषि कार्य में उपयोग कर चार दिवारी का निर्माण कृषि सुरक्षा में नही करवाकर प्लाटों के रूप में करवाया है जिसके लिए रूपान्तरण करवाया जाना आवश्यक है इसके विपरित कोई साक्ष्य अपीलांट ने प्रस्तुत नही किये है। ऐसी स्थिति में दोनों न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत पाये जाते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 25.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(करतार सिंह पुनियाँ)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर